



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 66 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

श्री सोहन सिंह,  
आत्मज श्री वृन्दावन,  
निवासी ग्राम असरावाद बुजुर्ग,  
तहसील- जिला इंदौर (म.प्र.)


**विषय:-** प्रकरण क्रमांक 9055/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह, आत्मज श्री वृन्दावन, निवासी ग्राम असरावाद बुजुर्ग, तहसील- जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 199/1/2, रकबा 1.10 हेक्टेयर, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील बिचौली हप्पी, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 714 वी बैठक दिनांक 24.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र पूर्व से खोदा हुआ है तथा अधिकांश लीज क्षेत्र में पानी भरा है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वर्ष 2014 तक खनन कार्य किया गया है एवं उसके उपरांत खदान बंद है। समिति ने पाया कि परियोजना के प्रस्तावित स्थल का गूगल इमेज (11/2017 तथा 04/2021) के अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है तथा यह ई.आई.आई नोटिफिकेशन, 2006 के अनुसार वॉयलेशन (Violation) का प्रकरण है। अतः इस स्थिति में इस प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जायें।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।


  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 67 /SEIAA/2022

दिनांक - 9/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - इंदौर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - इंदौर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - इंदौर म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी